© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 04 , Issue : 05 | July - September 2017

पंजाब का विभाजन : विस्थापित लोगों की समस्या का एक अध्ययन

अमनजीत सिंह (शोधार्थी). इतिहास विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।

शोध सारांश

इस लघु शोध लेख का मेरा प्रमुख उद्देश्य यह है कि इस लेख के माध्यम से भारत विभाजन के कारण बेघर हुए लोगों की समस्या उनकी मातृभूमि से बेदखल किए जाने के कारण जो असहनीय पीड़ा हुई तथा नई भूमि और नए समाज के बीच उन्होंने अपने आप को किस प्रकार समायोजित किया तथा सरकार द्वारा उनके पुर्नवास के लिए किए गए प्रयत्नों का वर्णन इस लेख के माध्यम से मेरे द्वारा छोटा सा प्रयास किया गया है।

ISSN : 2348-5612 © URR

संक्षेपकारः विस्थापित, पुनर्वास, मातृभूमि, विभाजन, बेदखल, शिविर

देश की आजादी के समय भारत में कुल 11 प्रान्त थे जिसमें एक पंजाब भी था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सिक्ख युद्धों (1849) के बाद पंजाब पर अधिकार किया था और इसका शासन एक प्रबन्ध समिति को सौंप दिया। उस समय इस प्रांत की जनसंख्या एक करोड़ व क्षेत्रफल एक लाख वर्गमील था। पंजाब को सात विभागों में बांट दिया गया। फिर उत्तर–पश्चिम सीमा की समस्या का समाधान करने के लिए 1900 ई. में पेशावर, हजारा, कोहाट, बन्नू व डेरा ईस्माईल खां जिलों को मिलाकर एक उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रान्त बनाया गया।[1] 1911 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित की गई तो दिल्ली को भी पंजाब से अलग कर दिया गया। 1947 के विभाजन से पहले पंजाब में 29 जिले व 5 मण्डल थे। (अम्बाला, जालन्धर, लाहौर, रावलपिंडी व मुल्तान)। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने अंग्रेजी शासन से आजादी हासिल की लेकिन इस आजादी के साथ साथ हमें देश का विभाजन भी करना पड़ा। सर रैडकिलफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग बनाया गया जिसने पंजाब को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। 45 प्रतिशत जनसंख्या पूर्वी पंजाब जिसके हिस्से में, अम्बाला, जालन्धर डिवीजन, अमृतसर और लाहौर, गुरदासपुर की कुछ तहसीलों को मिलाकर करीब 11 जिले शामिल किए। भारत के हिस्से में पंजाब का 38 प्रतिशत क्षेत्रफल और 45 प्रतिशत जनसंख्या आई । जबकि शेष 62 प्रतिशत क्षेत्र तथा 55 प्रतिशत जनसंख्या पाकिस्तान के हिस्स में आई।

भारत का विभाजन कोई अकस्मात घटना नहीं थी। अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो'' की नीति तथा कुछ साम्प्रदायिक दलों ने इस विभाजन की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया। इसके बाद पूरे पंजाब में, कत्लेआम, हत्याएं, बलात्कार, आगजनी, अपहरण दंगे हुए जिसे समाज में आपसी विश्वास लुप्त हो गया। साम्प्रदायिकता का जहर सम्पूर्ण पंजाब में फैल चुका था जनसाधारण में डर और अविश्वास के साथ जीवन रक्षा का प्रश्न सामने था।

अगस्त 1947 ई. में पंजाब का विभाजन, एक बड़ी मानवीय विपत्ति के साथ लगभग 500000 लोगों की हत्या के साथ घटित हुआ।[2] प्रवासियों का एक साधारण बहुमत, हिन्दू, मुस्लिम और सिक्खों का था जिन्होंने विभाजन के कारण अपने अस्तित्व की रक्षा के साथ–साथ अपना घर व स्थान छोड़ना पड़ा जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे और न ही किसी नए देश या राज्य का हिस्सा बनना चाहते थे। विभाजन से पूर्व ही साम्प्रदायिक दंगों के कारण विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। जब विभाजन की वास्तविकता सामने आई तो बड़े पैमाने पर लोगों का अपना स्थान छोड़कर लम्बी यात्रा करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश की विभाजन के बाद शरणार्थियों को भोजन, कपड़े और दवाईयां की जरूरत थी । अतः इनके पुर्नवास के लिए राहत व पुर्नवास मन्त्रालय स्थापित किया गया 6 सितम्बर 1947 को प्रधानमन्त्री ने के.सी. नियोगी को शरणार्थियों के 'राहत और पुर्नवास' के एक विशेष मन्त्रालय का कार्यभार लेने और केबिनेट में शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया और इस मन्त्रालय के द्वारा राहत व पुर्नवास के कार्य शुरू किये गए। बड़ी संख्या में गावों के हिन्दू व सिक्ख लोग जो बैल गाड़ियों के मीलों लम्बे काफिलों से सीमा पार करके आये, सीधे उन गांवों की ओर गये जहां पर पहले मुसलमान बसे हुए थे। शहरी जनसंख्या को मुसलमानों द्वारा छोड़े गए मकानों में जगह दी गई लेकिन इन मकानों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। शरणार्थियों को बसाने के लिए सभी स्कूल तथा कॉलेज 29 फरवरी, 1948 ई. तक बन्द कर दिय गए और भवनों को कैंपों के लिए उपलब्ध करवाया गया। यह निवास स्थान भी पर्याप्त नहीं था। सारे पंजाब में बड़े–बड़े तम्बू लागए गए जहां खाना, कपड़ा, चिकित्सा सहायता और जीवन की दूसरी आवश्यक वस्तुएं दी गई। प्रारम्भ में देश में करीब 16 शरणार्थी शिविर स्थापित किय गये जिनमें लगभग 1250000 शरणार्थियों को अस्थाई तौर पर आश्रय उपलब्ध करया गया। दिसम्बर, 1947 के अन्त तक अकेले पूर्वी पंजाब में 721396 शरणार्थियों को 65 शिविरों में आश्रय दिया।[3]

पूर्वी पंजाब में राहत कैम्पों की संख्या[4]

जिला	कैम्प	व्यक्तियों की संख्या

गुरदासपुर	4	3500
अमृतसर	5	1,29,398
फिरोजपुर	5	53000
लुधियाना	1	2500
जालन्धर	9	60000
होश्यिारपुर	1	11701
हिसार	3	3797
रोहतक	2	50000
अम्बाला	1	40000
करनाल	4	325000
गुडगांव	30	20000
कुल	65	721396

प्रारम्भिक अवस्था में विस्थापित लोगों को सार्वजनिक भवनों, जैसे धर्मशाला, कॉलेज, स्कूल या सरायों में आश्रय उपलब्ध करवाया गया और सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तीन महीने के लिए बन्द करने के भी आदेश दिए गये थे और साथ ही सरकार द्वारा कई राहत कैम्प भी स्थापित किए गए थे।

आश्रयः

बेघर लोगों के लिए आश्रय उपलब्ध करवाना ही सरकार की प्राथमिकता थी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए टैन्ट या तम्बू लगाए गए अक्तूबर के पहले से पूर्वी पंजाब सरकार द्वारा भारत सरकार के राहत और पुर्नवास मन्त्रालय ने रक्षा मन्त्रालय से तम्बू प्राप्त करने की मांग का दबाव शुरू हो गया था। सबसे बड़ी तम्बू उपलब्धता 1,50,000 व्यक्तियों के लिए थी और कुछ स्थानों पर सेना के पड़ाव थे जिसमें एक समय में दो व्यक्ति ही रह सकते थे। प्रारम्भिक अवस्था में शरणार्थियों द्वारा उन्हें पसन्द नहीं किया गया परन्तु इसके अलावा कोई और विकल्प भी मौजूद नहीं था।[5] विस्थापितों की समस्याओं तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन शिविरों में लाऊडस्पीकरों, ग्रामोफोन, रेड़ियों आदि का प्रयोग किया गया इसके अतिरिक्त सभी शिविरों में खाद्य–सामग्री, चिकित्सा सुविधा तथा प्रशिक्षण सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाऐं प्रदान की गई।

रोजगारः

सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या विस्थापित लोगों के रोजगार उपलब्ध करवाने की थी । पूर्वी पंजाब से जो मुस्लिम पाकिस्तान गए तथा जो हिन्दू व सिख पश्चिमी पंजाब से भारत आए तो इन लोगों की आदत, कार्य और सामाजिक रूतबे में दोनों समुदायों में काफी अन्तर था जिसके परिणामस्वरूप इन विस्थापितों को मुस्लिमों के द्वारा छोड़ी गई भूमि, और व्यवसायें में इनको समायोजित करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफी बड़ी संख्या में जो किसान, मजदूर, कलाकार थे उनको रोजगार आसानी से उपलब्ध हो सकता था। बड़ी मुश्किल तो वकील, डाक्टर, मास्टर व्यापारी वर्ग, दुकानदार, बैंक कर्मचारी, बड़े–बड़े जमींदार को समायोजित करने में हुई क्योंकि उनको उन्हीं के पेशे का कार्य यहां पर उपलब्ध नहीं हो सकता था। प्रशासन के द्वारा इनको कुछ महीनों में समयोजित करने का आश्वासन दिया गया। विस्थापित लोग स्वयं बधाई के पात्र है जिन्होंने स्वयं कैम्पों से बाहर जाकर अपनी आजीविका का प्रबन्ध कर लिया और बिना सरकारी सहायता के अपने पांव पर खड़े हो गए। प्रशासन के द्वारा इनको समायोजित करने के लिए दो श्रेणीयों में विभाजित कर दिया। प्रथम जो ग्रामीण क्षेत्र में समायोजित किए जाने थे। दूसरा जो शहरी क्षेत्र में समायोजित किए जाने थे। ग्रामीण क्षेत्र की बजाए प्रशासन को शहरी क्षेत्र में इनको बसाना काफी मुश्किल था क्योंकि मुस्लिमों के द्वारा जो जमीन छोड़ी गई थी वो ग्रामीण क्षेत्र में ही ज्यादा थी।

भोजनः

भारत सरकार द्वारा चलाए गए राहत कैम्पों में विस्थापित लोगों के लिए भोजन मुफ्त उपलब्ध करवाया गया। राहत कैम्पों में सामग्री और सुविधा किसी को कम या किसी को अधिक मिलती थी इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते है जिनमें शरणार्थियों को खाने को कुछ नहीं मिला और कहीं–कहीं राशन आवश्यकता से भी अधिक उपलब्ध था।

शरणार्थियों को जो राशन उपलब्ध करवाा गया वह इस सारणी में दर्शाया गया है।

कैम्प में राशन की मात्रा[6]

सामग्री	मात्रा
आटा और चावल	5 चम्मच
दाल	आधा चम्मच
चीनी	2 चम्मच एक महीना
नमक	एक चौथाई चम्मच
ईंधन लकड़ी	आधा सेर

इस प्रकार प्रत्येक राहत कैम्प में एक स्तर तक राशन की मात्रा प्रणाली अपनाकर कैम्पों में शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने की कोशिश की गई। सरकार ने राहत कैम्पों में शरणार्थियों की संख्या कम करने के लिए मई 1948 में घोषणा की जो रोजगार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनको मुफ्त भोजन नहीं दिया जाएगा और जिन्हें भूमि दी गई थी उन्हें भी मुफ्त राशन नहीं दिया जाएगा इसकी पुष्टि यशपाल के 'झूठा सच' से भी होती है।

निष्कर्ष:

पंजाब के तीनों प्रमुख समुदायें (हिन्दू, मुस्लिम, और सिक्ख) तथा अनेक जातियां व उपजातियां विभाजन नहीं चाहती थी लेकिन देश की राजनीतिक गतिविधियों व अंग्रेजों की ''फूट डालों और राज करो'' की नीति के कारण देश का बंटवारा हो गया। हालांकि लोग न विस्थापित होना चाहते थे और न ही दंगे चाहते थे। लेकिन हिन्दू और मुस्लिम की इस अवधारणा ने उनके बीच के सम्बन्धों को तोड़कर उनको साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों के साथ जोड़ दिया। विभाजन के बाद विस्थापन से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने में प्रान्तीय और राष्ट्रीय सरकारें असफल रही क्योंकि उनके पास कोई पुर्नवास सम्बन्धी निर्धारित नीति नहीं थी। सरकार के लिए पुर्नवास के जो प्रयास किए गए थे। वह भी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सके। हालांकि सरकार ने विस्थापित लोगों के द्वारा छोड़ी गई भूमि को विस्थापित लोगों को देकर पुनर्वास का प्रयास किया । उपरोक्त परिदृष्य के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब का विभाजन राजनीतिक कारणों की वजह से हुआ जिसका सबसे ज्यादा नुकसान आमजन को भुगतना पड़ा और विभाजन लोगों के मस्तिष्क पर एक ऐसी काली परछाई छोड़ गया जिसकी स्मृति अभी भी लोगों के दिलों और दिमाग में जिन्दा है।

संदर्भ सूची:

1. किरपाल सिंह, **पार्टीशन ऑफ द पंजाब**, पृ. 21
2. यहां पर निश्चित जनहानि की संख्या उपलब्ध नहीं है। पेन्ट्रल मून, डीवाइड एण्ड किवट दिल्ली, 1998 में, 200000 जनहानि का तर्क देता है, वही स्ट्रैन रैकानिंग में दो से अढ़ाई लाख दोनों तरफ जनहानि का तर्क देते हैं।
3. सत्या मूर्ति राय, **पंजाब सिन्स पार्टीशन**, नई दिल्ली, 1986,
4. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, **मिलियन ऑन द मूव : द ऑफटर मैथ ऑफ पार्टीशन**, दिल्ली
5. गवर्नमैन्ट ऑफ ईस्ट पंजाब, मिलियन्स लिव, एगेन, शिमला
6. वही,

- यशपाल, **झूठा सच**, नई दिल्ली, 2014,

- राय, सत्य मूर्ति, पंजाब सिन्स पार्टीशन, पटियाला, 1986,
- गोखले, एस.एम., पूर्वोद्धृत,
- किरपाल सिंह, पूर्वोद्धृत,
- सक्सेना मोहनलाल, सम रिफलेक्शनस ऑन द प्रोब्लमस ऑफ रिहेबिलेशन
- जसवंत सिंह, **जिन्ना, भारत–विभाजन के आईने में**